



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1572]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2009/ आश्विन 8, 1931

No. 1572]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2009/ASVINA 8, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2009

का.आ. 2495(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.521 (अ), तारीख 20 फरवरी, 2009 द्वारा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था।

और संबंधित राज्य सरकारों से राज्य स्तर पर नदी संरक्षण क्रियाकलापों का समन्वय और कार्यान्वयन करने, और अपने राज्यों में गंगा नदी के व्यापक प्रबंधन के लिए उपाय करना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड राज्य में गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और संरक्षण करने हेतु उपाय करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण का गठन करती है।

1. **प्राधिकरण का नाम** - केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार गठित प्राधिकरण को झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण (इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से जाना जाएगा।
2. **प्राधिकरण का मुख्यालय** - प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में होगा।
3. **प्राधिकरण की संरचना** - प्राधिकरण में निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(क)	मुख्य मंत्री, झारखंड	- पदेन अध्यक्ष
(ख)	पर्यावरण मंत्री, झारखंड सरकार	- पदेन सदस्य
(ग)	वित्त मंत्री, झारखंड सरकार	- पदेन सदस्य
(घ)	शहरी विकास मंत्री, झारखंड सरकार	- पदेन सदस्य

- (ड.) जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री, झारखंड सरकार - पदेन सदस्य
 (च) मुख्य सचिव, झारखंड सरकार - पदेन सदस्य-सचिव

परन्तु, प्राधिकरण राज्य सरकार के एक या अधिक मंत्रियों को, जैसा अपेक्षित हो, पदेन सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण पांच तक ऐसे सदस्यों को भी सहयोजित कर सकेगा, जो नदी संरक्षण, जल विज्ञान, पर्यावरणीय इंजीनियरी, सामाजिक संघटन और ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं ।

4. **प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य** - (1) उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण को सभी ऐसे उपाय करने की शक्ति होगी, जिन्हें वह गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और संरक्षण के लिए और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के विनिश्चयों या निदेशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) विशिष्टता और उप पैरा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों में निम्नलिखित सभी या कोई विषय सम्मिलित हो सकेंगे, अर्थात् :-

(क) राज्य स्तर पर सीवरेज अवसंरचना, जलागम क्षेत्र उपचार, बांध वाले मैदानों की सुरक्षा, लोक जागरुकता पैदा करना और ऐसे अन्य उपायों के संवर्धन सहित नदी संरक्षण कार्यक्रमों का समन्वय और कार्यान्वयन करना तथा गंगा नदी के जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसके प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के उद्देश्य वाले क्रियाकलापों का विनियमन करना और राज्य में नदी पारिस्थितिकी और प्रबंधन से संबंधित सुसंगत ऐसे अन्य उपाय करना;

(ख) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नदी बेसिन प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन करना;

(ग) जल का पुनःचक्रण और पुनःउपयोग, वर्षा जल संचयन, और विकेंद्रित मल जलशोधन तंत्र और जलागम में भण्डारण परियोजनाओं द्वारा जल संवर्धन को प्रोत्साहित करने सहित जल संरक्षण पद्धतियों के माध्यम से जल की गुणता और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिकीय बहाव का अनुरक्षण करना;

(घ) गंगा नदी में प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए किए गए कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रमों या क्रिया-कलापों को मानीटर करना और उनका पुनर्विलोकन करना;

(ड.) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के विनिश्चयों या निर्देशों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन, अतिक्रमण, सविदाएं, विद्युत आपूर्ति आदि से संबंधित मुद्दों और ऐसे मुद्दों का निराकरण करना;

(च) उक्त अधिनियम की धारा 10 अधीन प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति और प्राधिकरण के कृत्यों का प्रयोग और पालन करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन नमूने लेने की शक्ति; और

(छ) उपरोक्त सभी या किन्हीं कृत्यों का प्रयोग करने और पालन करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 अधीन निदेशों का जारी किया जाना और ऐसे अन्य उपाय करना, जो प्राधिकरण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

(3) प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन राज्य को प्रदत्त ऐसी किन्हीं शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों से असंगत न हों ।

(4) प्राधिकरण, राज्य सरकार और उनकी संस्थाओं में निहित शक्तियों को ध्यान में रखते हुए, उप-पैरा (1) और (2) में यथावर्णित विनियामक और विकासशील कृत्यों को संयोजित करेगा।

5. **प्राधिकरण की बैठकें** - प्राधिकरण अपनी बैठकों सहित अपना कारबार के संव्यवहार के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगा।

6. **प्राधिकरण की अधिकारिता** - प्राधिकरण की अधिकारिता का विस्तार झारखंड राज्य में होगा।

7. **झारखंड राज्य में गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और संरक्षण को मानीटर करना** - प्राधिकरण झारखंड राज्य में गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और संरक्षण को मानीटर करने के लिए अपना स्वयं का तंत्र तैयार कर सकेगा और उक्त प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन उसके निर्देश जारी कर सकेगा।

8. **प्राधिकरण को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता** - प्राधिकरण को राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा, जो नोडल विभाग होगा, और प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में भी कार्य करेगा, वित्तीय और अन्य संभारतंत्र सहायता सहित प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

9. **राज्य कार्यकारी समिति** - केन्द्रीय सरकार, झारखंड राज्य सरकार के परामर्श से प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क)	मुख्य सचिव, झारखंड सरकार	- पदेन अध्यक्ष
(ख)	सचिव, वित्त, झारखंड सरकार	- पदेन सदस्य
(ग)	सचिव, शहरी विकास, झारखंड सरकार	- पदेन सदस्य
(घ)	सचिव, जल संसाधन और सिंचाई, झारखंड सरकार	- पदेन सदस्य
(ड.)	अध्यक्ष, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- पदेन सदस्य
(च)	प्रबंध निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, झारखंड सरकार	- पदेन सदस्य
(छ)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड सरकार	- पदेन सदस्य
(ज)	प्रमुख इंजीनियर, सिंचाई विभाग, झारखंड सरकार	- पदेन सदस्य
(झ)	झारखंड सरकार द्वारा सुसंगत क्षेत्रों से नामनिर्देशित किए जाने वाले पांच से अनधिक विशेषज्ञ	- सदस्य
(ञ)	सचिव, पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार	- पदेन सदस्य- सचिव

10. **राज्य कार्यकारी समिति की शक्तियां और कार्य-**(1) राज्य कार्यकारी समिति, प्राधिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण और मानीटर करेगी तथा कार्यान्वयन अभिकरणों को आवश्यक निदेश देगी, और कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगी तथा समय-समय पर उससे निर्देश प्राप्त करेगी।

(2) राज्य कार्यकारी समिति प्रत्येक तीन मास के समय में एक बार अपनी बैठक बुलाएगी।

(3) राज्य कार्यकारी समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्य का पालन करेगी जो प्राधिकरण द्वारा अपने विनिश्चयों और निर्देशों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2009

S.O. 2495(E).—WHEREAS a National Ganga River Basin Authority has been constituted *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.521 (E), dated the 20th February 2009;

AND WHEREAS the State Governments concerned are required to coordinate and implement the river conservation activities at the State level, and take steps for comprehensive management of the river Ganga in their States;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Authority as mentioned below for taking measures for effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga in the State of Jharkhand.

1. Name of Authority.— The Authority so constituted by the Central Government shall be known as the Jharkhand State Ganga River Conservation Authority (hereinafter referred to as the said Authority).

2. Headquarters of Authority.— The headquarters of the Authority shall be at Ranchi.

3. Composition of Authority.— The Authority shall consist of the following Chairperson and members, namely:-

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| (a) Chief Minister, Jharkhand | - | <i>ex officio</i> Chairperson; |
| (b) Minister, Environment and Forests,
Government of Jharkhand | - | <i>ex officio</i> member; |
| (c) Minister, Finance, Government of Jharkhand | - | <i>ex officio</i> Member; |
| (d) Minister, Urban Development, Government of
Jharkhand | - | <i>ex officio</i> Member; |

- (e) Minister, Water Resources and Irrigation, - *ex officio* Member;
Government of Jharkhand
- (f) Chief Secretary, Government of Jharkhand - *ex officio* Member-Secretary:

Provided that the Authority may co-opt one or more Ministers of the State Government as may be required, as *ex officio* Member:

Provided further that the Authority may also co-opt upto five members who are experts in the fields of river conservation, hydrology, environmental engineering, social mobilisation and such other fields.

4. Powers and functions of Authority.— (1) Subject to the provisions of the said Act, the Authority shall have the power to take all such measures as it deems necessary or expedient for effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga and for implementing the decisions or directions of the National Ganga River Basin Authority.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of subparagraph (1), such measures may include all or any of the following matters, namely: -

(a) coordination and implementation of the river conservation activities including augmentation of sewerage infrastructure, catchment area treatment, protection of flood plains, creating public awareness and such other measures at the State level and regulation of activities aimed at the prevention, control and abatement of pollution in the river Ganga to maintain its water quality, and to take such other measures relevant to river ecology and management in the State;

(b) implementation of the river basin management plan prepared by the National Ganga River Basin Authority;

(c) maintenance of minimum ecological flows in the river Ganga with the aim of ensuring water quality and environmentally sustainable development through implementing water conservation practices including recycling and reuse, rain water harvesting, and decentralised sewage treatment systems and promoting water augmentation by storage projects in the catchment;

3558 9/10/09-2

(d) monitoring and review of the implementation of various programmes or activities taken up by the implementing agencies for prevention, control and abatement of pollution in the river Ganga;

(e) address issues related to land acquisition, encroachments, contracts, power supply and other such issues for the purpose of implementing the decisions or directions of the National Ganga River Basin Authority;

(f) power of entry and inspection under section 10 of the said Act and power to take sample under section 11 of the said Act for the purpose of exercising and performing the functions of the Authority; and

(g) issuance of directions under section 5 of the said Act for the purpose of exercising and performing all or any of the above functions and to take such other measures as the Authority deems necessary or expedient for achievement of its objectives.

(3) The powers and functions of the Authority shall be without prejudice to any of the powers conferred upon the State under any Central or State Act, being not inconsistent with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(4) The Authority shall combine regulatory and developmental functions as stated to in sub-paragraphs (1) and (2), keeping in view the powers vested with the State Government and their institutions.

5. Meetings of Authority.— The Authority may regulate its own procedures for transacting its business including its meetings.

6. Jurisdiction of Authority.— The jurisdiction of the Authority shall extend to the State of Jharkhand.

7. Monitoring of effective abatement of pollution and conservation of river Ganga in the State of Jharkhand:— The Authority may evolve its own mechanism for monitoring of effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga in the State of Jharkhand and issue directions thereof under section 5 of the said Act for the said purpose.

8. Administrative and technical support to Authority.— The Authority shall be provided administrative and technical support including financial and other logistic support by the State Government in the Department of Environment and Forests, which shall be the nodal Department and shall also act as the Secretariat for the Authority.

9. State Executive Committee.— The Central Government, in consultation with the State Government of Jharkhand, hereby constitutes the State Executive Committee of the Authority consisting of the following Chairperson and members, namely:-

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (a) Chief Secretary, Government of Jharkhand | - <i>ex officio</i> Chairperson; |
| (b) Secretary, Finance, Government of Jharkhand | - <i>ex officio</i> Member; |
| (c) Secretary, Urban Development, Government of Jharkhand | - <i>ex officio</i> Member; |
| (d) Secretary, Water Resources and Irrigation, Government of Jharkhand | - <i>ex officio</i> Member; |
| (e) Chairman, Jharkhand Pollution Control Board | - <i>ex officio</i> Member; |
| (f) Managing Director, Project Implementing Agency, Government of Jharkhand | - <i>ex officio</i> Member; |
| (g) Principal Chief Conservator of Forests, Government of Jharkhand | - <i>ex officio</i> Member; |
| (h) Engineer-in-Chief, Irrigation Department, Government of Jharkhand | - <i>ex officio</i> Member; |
| (i) Not more than five experts from relevant fields to be nominated by the Government of Jharkhand | - Members; |
| (j) Secretary, Environment and Forests, Government of Jharkhand | - <i>ex officio</i> Member-Secretary; |

10. Powers and functions of the State Executive Committee.— (1) The State Executive Committee shall oversee and monitor the implementation of various programmes and projects of the Authority and give necessary directions to the implementing agencies, and shall report to the Authority, the progress of implementation and seek its directions from time to time.

(2) The State Executive Committee shall convene its meetings atleast once in every three months time.

(3) The State Executive Committee shall exercise the powers and perform such other functions as may be delegated to it by the Authority for the purposes of implementing its decisions and directions.

[F. No. A-12011/7/2009-NRCD-II]
RAJIV GAUBA, Jt. Secy.